

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 11.03.2015

ग्रा0वि0-3/स्था0-1-27/15 सं0-223534 श्री राकेश कुमार (अनुक्रमांक- 196331) ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या- 217561 दिनांक- 22.01.15 द्वारा दिये गये आदेश को सी0डब्ल्यू0जे0सी0-2780/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-18.02.15 को पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन में तदनुसार तत्कालिक रूप में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से न्यायादेश पारित होने तक के लिए स्थगित किया जाता है।

2. श्री राकेश कुमार (अनुक्रमांक- 196331) ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित अंतिम न्यायादेश तक उक्त पद पर बने रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रमोद कुमार बिहारी)  
सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 223534

दिनांक:- 11.03.2015

ग्रा0वि0-3/स्था0-01-27/15

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 223534

दिनांक:- 11.03.2015

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा, निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 223534

दिनांक:- 11.03.2015

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, भोजपुर/उप विकास आयुक्त, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/श्री राकेश कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर/अंचलाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, भोजपुर को निदेश दिया जाता है कि वे श्री कुमार को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्यायादेश के आलोक में ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर का प्रभार दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 223534

दिनांक:- 11.03.2015

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 223534

दिनांक:- 11.03.2015

प्रतिलिपि- विद्वान महाधिवक्ता, बिहार (श्री रामबालक महतो) पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्र संख्या-1290 दिनांक-09.02.15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव